

Date: 23/05/2026

<p>To, The Manager, Listing &amp; Compliance, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, 400 001.</p> <p><b>Ref: Scrip Code - 540393</b></p>	<p>To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai, 400 051</p> <p><b>Ref: Scrip Symbol - SMLT</b></p>
--	--

**Sub: Publication of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2026.**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copies of the publication of Audited Financial Results for the quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2026, published in the following newspapers:

1. Financial Express (National Daily newspaper - Mumbai - English Edition), on 23<sup>rd</sup> May, 2026.
2. Shram Bindu (Regional Daily newspaper - Hindi Edition), on 23<sup>rd</sup> May, 2026.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

**Thanking You,  
Yours faithfully,  
For Sarthak Metals Limited**

**Pratik Jain  
Company Secretary & Compliance Officer**

**Encl. as above**

# India blocks China's attempt to form WTO panel on PLI scheme

FE BUREAU  
New Delhi, May 22

INDIA HAS BLOCKED China's request for the establishment of a panel to adjudicate the dispute it had brought before the World Trade Organization (WTO) against the production-linked incentive (PLI) scheme for solar modules and duties charged on IT products. The dispute was initiated on December 19 last year when China requested consultations with India on PLI for solar and duties on IT products. As the consultations failed to resolve the issue, China requested for

the establishment of a panel under the dispute settlement mechanism (DSM) to adjudicate on it. At the meeting of the dispute settlement body (DSB) on Friday, India blocked the Chinese request. However, China can again request for the establishment of a panel and on second attempt, the panel does get constituted unless there is a consensus in the DSB against it. This, however, will not happen as long as the complainant is unwilling to join in that consensus.

If the panel is established in the next DSB meeting then India will have to defend its

policy. After hearing both sides, the panel prepares its report on the dispute which becomes binding once it is adopted by DSB. Either party has the right to appeal the findings of the panel but at present the appellate body is non-functional because of the absence of quorum as the US has blocked appointment of new judges since 2017.

As the dispute settlement mechanism is not fully functional, all disputes at WTO end in a limbo.

At Friday's meeting, India said it had entered into discussions with China on the dispute

in good faith but the Chinese decided to go ahead with the request for formation of the panel. The Indian representatives also said that the PLI for high efficiency solar photovoltaic modules is consistent with the WTO law. India also said that China controls 80% of the global value chain of solar module production and its efforts to stall the legitimate growth of this industry in other countries is "strange". It also said that the rules-based trading system with the WTO at its core should not support such mercantilism, which amounts to beggar-thy-neighbour.


# South dams filled less than a quarter, pan-India level at 33%

WATER LEVELS IN the 47 reservoirs in southern India dropped to 24.2% of their capacity, much below the previous year's levels, reports Sandip Das.

Storage is below 25% of reservoir capacities in both Karnataka and Telangana, two states where kharif crops, especially paddy and pulses, are widely grown.


With El Nino developing in the second half of the monsoon season (June-September), rainfall could be affected, potentially causing further drops in water levels in dams.

Low reservoir levels could also dent hydroelectric potential. At the pan-India level, dams are filled up to a third of their capacities ahead of monsoon onset.



## PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED

Regd. Office : Thergaon, Pune – 411033.  
Tel.: 020 - 40773333, E-Mail: pune@pudumjee.com  
Website: www.pudumjee.com, CIN: L21098PN2015PLC153717



### STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2026


(₹ in Lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year ended	
		31/Mar/2026	31/Dec/2025	31/Mar/2025	31/Mar/2026	31/Mar/2025
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	20,055	20,375	19,008	80,788	80,908
2	Profit before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA)	3,277	3,272	2,899	14,501	14,503
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax	2,680	2,810	2,466	12,625	12,872
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	1,972	2,071	1,885	9,359	9,576
5	Total comprehensive income for the period [ comprising profit for the period and other comprehensive income (after tax)]	1,758	2,045	1,468	9,230	9,627
6	Equity Share Capital	950	950	950	950	950
7	Other equity excluding Revaluation Reserves as per balance sheet				65,998	57,338
8	Earning per Equity share : Basic and Diluted (Rs.)	2.08	2.18	1.99	9.86	10.09

**Notes:**


- A Dividend for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 at the rate of Re. 0.60 per Equity share of Re. 1/- each amounting to Rs. 569.70 lacs is recommended by the Board of Directors in their meeting held on 22<sup>nd</sup> May 2026, subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 22<sup>nd</sup> May 2026.
- The Statutory Auditors have carried out the audit for the year ended March 31<sup>st</sup>, 2026. Figures for the quarter ended March 31<sup>st</sup>, 2026 and March 31<sup>st</sup>, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company is not 'Large Corporate' as on 31<sup>st</sup> March, 2026 as per criteria provided in SEBI circular dated 26-11-2018
- The figures for previous period have been recast and regrouped wherever necessary to conform to current period's presentations.
- The above is an extract of the detailed format of Financial results for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of these financial results are available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company's website ([www.pudumjee.com](http://www.pudumjee.com)). The same can also be accessed by scanning quick response code provided below.

Place : Mumbai  
Date : 22<sup>nd</sup> May 2026




For and on behalf of  
The Board Of Directors,  
  
Arun Kumar Jatia  
Executive Chairman  
(DIN: 01104256)

Place : Mumbai  
Date : 22<sup>nd</sup> May 2026





pudumjeepapers



## SARTHAK METALS LIMITED

Corporate Identity Number : L51102CT1995PLC009772  
Registered Office : B.B.C Colony, G. E. Road, Khursipar, Bhilai - 490011, Chhattisgarh, India  
Contact No. +91-9303773708 Website : www.sarthakmetals.com E-mail: cs@sarthakmetals.com

### EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31<sup>ST</sup>, 2026


(₹ in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone				
	3 Months Ended			Year Ended	
	31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Un-Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from Operations	6199.00	4772.94	4808.48	19225.14	17842.01
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	149.39	129.72	67.06	461.07	411.98
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	156.52	134.95	68.17	474.97	412.50
Equity Share Capital	1368.98				
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet	11058.80				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic:	1.09	0.95	0.49	3.37	3.01
2. Diluted:	1.09	0.95	0.49	3.37	3.01


**Notes:**

- Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, where necessary.
- The above results for the quarter and year ended March 31, 2026 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 22nd May, 2026
- The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) as applicable and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The aforesaid Limited Reviewed Financial Results will be uploaded on the company's website [www.sarthakmetals.com](http://www.sarthakmetals.com) and will be available on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) for benefit of shareholders.
- The Company has Rs 32.69 Lac unrealised gains on foreign currency transactions as on 31st March 2026.
- During the Quarter ended March 31, 2026, One Investor complaint was received and attended.
- The Company operates in a single segment as "Cored Wires".
- The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures of the current financial year.

Place : Bhilai, Chhattisgarh  
Date : 22-5-2026



By order of the Board  
For, Sarthak Metals Limited  
Sd/-  
Anoop Kumar Bansal  
Managing Director  
DIN: 01661844



## L&T Technology Services

### L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

(A subsidiary of Larsen & Toubro Limited)  
CIN: L72900MH2012PLC232169  
Regd. Office: L&T House, N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001  
Tel: (91 22) 6892 5257; Fax: (91 22) 6752 5858  
E-mail: [investor@lts.com](mailto:investor@lts.com) Website: [www.LTTS.com](http://www.LTTS.com)

#### NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

##### Subject: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund

This notice is hereby published pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the IEPF Rules"). In terms of the said provisions, the shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years or more are liable to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund.

Accordingly, the Company is required to transfer equity shares held by its shareholders who have not claimed dividend declared by the Company consecutively for 7 (seven) years with effect from FY 2018-19 to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The Company has already sent individual communication dated May 22, 2026 to the concerned shareholders, advising them to claim their unclaimed dividend on or before August 25, 2026, to avoid transfer of the corresponding equity shares to the IEPF.

In terms of Rule 6 of the IEPF Rules, the Company has also uploaded on its website at [www.lts.com](http://www.lts.com) a list of such shareholders who have not encashed their dividends consecutively for 7 (seven) years and whose underlying shares are therefore liable to transfer to IEPF account. Shareholders are requested to verify their details from the said web link and claim respective dividend on or before August 25, 2026.

In case, the Company does not receive valid claim from the shareholders for dividend(s) in respect of such equity shares by August 25, 2026, the underlying equity shares shall be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority. Shareholders may note that the unclaimed dividend and the equity shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them after following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

**Shareholders may please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares, or dividends so transferred to IEPF pursuant to the Rules.**

For any further information, the shareholders concerned may contact to the Company / Registrar and Transfer Agent at the below address:

**Secretarial Department**  
A.M. Naik Tower, 6<sup>th</sup> Floor,  
L&T Campus, Gate No. 3,  
Jogeshwari-Vikhroli Link  
Road, Powai, Mumbai -  
400 072  
Tel: (91 22) 6892 5257  
E-mail: [investor@lts.com](mailto:investor@lts.com)  
Website: [www.LTTS.com](http://www.LTTS.com)

**M/s KFin Technologies Limited**  
Unit: L&T Technology Services Limited  
Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32,  
Financial District, Nanakramguda,  
Serilingampally Mandal,  
Hyderabad - 500 032, India  
Toll Free: 1800 309 4001  
E-mail ID: [einward.nis@kfinetech.com](mailto:einward.nis@kfinetech.com)  
Website: [www.kfinetech.com](http://www.kfinetech.com)

For L&T Technology Services Limited  
Prasad Shanbhag  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. A30254

Place: Mumbai  
Date: May 22, 2026



50 Years of Excellence

### EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ in Crore)

Particulars	Standalone					Consolidated				
	Quarter ended 31 March, 2026 (Unaudited)	Quarter ended 31 December, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 31 March, 2025 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2026 (Audited)	Year ended 31 March, 2025 (Audited)	Quarter ended 31 March, 2026 (Unaudited)	Quarter ended 31 December, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 31 March, 2025 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2026 (Audited)	Year ended 31 March, 2025 (Audited)
Total income from Operations	2,997.79	1,965.35	3,243.45	8,478.86	10,193.14	3,188.98	2,119.04	3,412.07	9,071.05	10,759.58
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	245.74	131.19	258.02	797.85	917.81	247.83	134.69	263.05	766.50	939.02
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	245.74	131.19	258.02	797.85	917.81	247.83	134.69	263.05	766.50	939.02
Net profit after tax	192.03	91.18	218.21	618.45	737.59	191.46	99.85	211.78	591.92	727.83
Profit is attributable to :										
Owners of the Parent	192.03	91.18	218.21	618.45	737.59	191.60	100.66	210.85	595.47	727.41
Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	(0.14)	(0.81)	0.93	(3.55)	0.42
Total comprehensive income	191.37	93.37	220.64	622.73	743.13	190.70	102.02	214.17	596.09	733.32
Equity share capital	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10	188.10
Other Equity attributable to Owners of the Parent (Excluding Revaluation Reserve)				6,442.29	6,049.33				6,450.54	6080.68*
Earnings Per Share (Not annualized) (Face Value of ₹2/- each)										
(a) Basic (in ₹)	2.04	0.97	2.32	6.58	7.84	2.04	1.07	2.24	6.33	7.73
(b) Diluted (in ₹)	2.04	0.97	2.32	6.58	7.84	2.04	1.07	2.24	6.33	7.73

**\*Restated**  
**NOTES:**

- The above standalone and consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22nd May, 2026. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion.
- The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website at [www.ircon.org](http://www.ircon.org).
- The Board has recommended a final Dividend of ₹ 0.70/- per equity share on face value of ₹ 2/- per equity share for the financial year 2025-26, subject to the approval of the shareholders at the AGM. This is in addition to Interim Dividend of ₹ 1.20 per equity share on face value of ₹ 2/- per share for the year 2025-26 approved in Board held on 11th February 2026, and subsequently paid.
- Figures for the previous periods/year have been re-grouped / re-classified / re-casted to conform to the classification of the current period/year.

Place: New Delhi  
Date: 22<sup>nd</sup> May, 2026



For and on behalf of Irrcon International Limited  
Sd/-  
Hari Mohan Gupta  
Chairman & Managing Director and CEO  
DIN- 08453476

## IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017; Tel: +91-11-26530266; Fax: +91-11-26522000/26854000  
E-mail: [investors@ircon.org](mailto:investors@ircon.org); Website: [www.ircon.org](http://www.ircon.org); Corporate Identity Number: L45203DL1976G01008171

[ खास खबर ]

नवपदमथ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने  
संभाला पदभार

श्रमबिन्दु/बलरामपुर

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नई कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया। श्रीमती त्रिपाठी 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व श्रीमती त्रिपाठी कोरिया जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यरत थीं। इस अवसर पर अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर स्थित ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग से लगी  
आग, दमकल वाहन की मदद से पाया गया काबू

श्रमबिन्दु/ बेमेतरा

जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर परिसर के पीछे उस समय अफ़ा-तपरी का माहौल बन गया जब ट्रांसफार्मर से अचानक स्पार्किंग होने लगी और अचानक डीओ गिरने से नीचे सूखी घास में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने तत्काल स्थिति को संभालने का प्रयास किया और कलेक्टर परिसर में लगे फ़ायर सिस्टम की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार कलेक्टर परिसर में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से अचानक तेज आवाज के साथ स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग के दौरान डीओ गिर गया, जिससे ट्रांसफार्मर के नीचे मौजूद सूखी घास और झाड़ियों में आग फैल गई। गर्मी और सूखे मौसम के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास मौजूद कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली सप्लाई बंद कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभिक तौर पर कर्मचारियों ने कलेक्टर में उपलब्ध फ़ायर सिस्टम का उपयोग किया, लेकिन आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी। इसके बाद नगर पालिका के दमकल वाहन को सूचना दी गई। कुछ ही देर में नगर पालिका का फ़ायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंचा। विद्युत कर्मियों और दमकल कर्मचारियों ने मिलकर ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग को बुझाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग बुझाने के बाद भी में काफी देर तक धुआं उठता रहा। कलेक्टर परिसर में एक ही स्थान पर तीन अलग-अलग ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर के नीचे जंगल की तरह झाड़ियां जैसा माहौल है साफसफ़ाई के प्रति कलेक्टर प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया जबकि यह पतझड़ का सीजन है। विद्युत कंपनी और दमकल विभाग के कर्मियों की सूझबूझ से भीषण आग जिन का एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कलेक्टर परिसर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

सुशासन तिहार शिविर में पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने सुनीं  
जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

श्रमबिन्दु/ साजा

ग्राम तेंदूबाध में आयोजित सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर में साजा क्षेत्र के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने पहुंचकर आमजन से आत्मीय संवाद किया तथा ग्रामीणों की समस्याओं, मांगों और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न जहनित से जुड़े मुद्दों को पूर्व विधायक के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए।

पूर्व विधायक बाफना ने कहा कि जनता की सेवा एवं उनकी समस्याओं का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए प्रदेश एवं केंद्र की डबल इंजन भाजपा सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ



अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान भी किया।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, नल-जल योजना, बिजली संबंधी समस्याएं तथा विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। पूर्व विधायक बाफना ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना न पड़े और गांव स्तर पर ही समाधान उपलब्ध हो। इस अवसर पर लाभचंद बाफना ने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान और आम नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई धारा बह रही है तथा लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास मजबूत करने का अभियान है।

शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने पूर्व विधायक बाफना के सरल, सहज एवं जनसरोकारों से जुड़े व्यवहार की सराहना करते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं त्वरित निराकरण के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

<p><b>न्यायालय तहसीलदार धमधा,</b> जिला- दुर्ग (छ.ग.) रा.प्र.क्र. 202605100800014/31-6 / वर्ष 2025-26</p> <p>ग्राम- धमधा / प.ह.नं.- 15, इंटरलॉक / इंटरलॉक /</p> <p>एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आदेशक आदेशक उपाय विधिवत पत्राचार, 2. न्यायिक निवेदन परवेष्टित तहसील धमधा इलाका दुर्ग ग्राम पंचायत निवेदन का आदेश पत्राचार किया गया है। कि मौजूदा धमधा प.ह.नं. 15, तहसील धमधा विभाग दर्ता निमित्त भूमि खसरा नंबर 2004 रकबा 0.25 हे कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.25 हे. भूमि मालिक पिता शीलू के नाम पर दर्ज है। धनिकी दिनांक 25/05/2026 को एवं उनकी पत्नी स्व. मीराबाई पति स्व. मनमोहन की दिनांक 28/09/2025 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् आदेशक आदेश पत्र के साथ अन्य दस्तावेज सलन कर एक भूमि पर से भूमिगत मालिक स्व. मनमोहन पिता शीलू को नाम को विलीनित कर उनके वारिसान पुत्र उपाय विधिवत पत्राचार किया गया, स्व. मनमोहन, एवं पुत्री 1. बदरबाई पति स्व. मनमोहन, 2. चन्द्रोत्तम पति स्व. मनमोहन, 3. पुष्पा पिता स्व. मनमोहन, 4. परमा पिता स्व. मनमोहन, 5. शिवेश्वर पिता स्व. मनमोहन 6. सुरेश्वर पिता स्व. मनमोहन के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया है। तत्संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचारार्थ है। उक्त प्रस्तावना वाद भूमि के संबंध में यदि जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था / समिति को कोई दावा/आपत्ति हो तो स्वयं अथवा जाने वेष अधिकारियों के माध्यम से इस न्यायालय में अपना पेशी दिनांक 25/05/2026 तक न्यायालय में अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पट्टा पर जारी किया गया। जारी दिनांक- 11/05/2026 आगामी पेशी दिनांक- 25/05/2026 तहसीलदार धमधा</p>	<p><b>राजस्व निरीक्षक मंडल जुनवानी तहसील दुर्ग जिला दुर्ग सूचना पत्र</b></p> <p>क्रमांक/Q/ रा.नि./2026 दिनांक:18/5/2026 प्रति, आवेदक/आवेदिका शोभा गोयल पति विष्णु प्रसाद समीप आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम जुनवानी प.ह.नं.43 रा.नि.म जुनवानी के अंतर्गत खसरा नंबर 301 रकबा 0.14 के मौका नाप हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है श्रीमान तहसीलदार महोदय दुर्ग के आदेश दिनांक 09.05.2026 के परिपालन में दिनांक 29.05.2026 को 11 बजे से 5 बजे के बीच में मौका नाप किया जाना है अतः दस्तावेज रजिस्ट्री बयानमा सहित नियत तिथि पर उपस्थित होंगे।</p> <p><b>राजस्व निरीक्षक दुर्ग छत्तीसगढ़</b></p>
---	---

<p><b>कार्यालय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग (छ.ग.)</b> <b>ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-05</b> Email id: ee-res.durg@gov.in</p> <p>ज्ञा.क्र. 1428 / व.ले.लि. / ग्रा.यं.से./2026-27 दुर्ग, दिनांक 21/05/2026 एकिकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>कार्य का नाम</th> <th>अनुमानित लागत (लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंधा दुर्ग अंतर्गत विभिन्न मटों में वर्ष 2026-27 एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य हेतु स्वीकृत रूपये 30.00 लाख तक लागत के छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का सम्पादन करना। (जोनल निविदा रूप क. 11, 12, 13, 14 एवं 15) </td></tr></tbody> </table> <p>S.T.H.-191458, 191459, 191460, 191461, 191462</p> <p>उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञापन निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 21.05.2026 से देखी जा सकती है एवं ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 04.06.2026 तक है।</p> <p><b>कार्यपालन अभियंता</b> ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग (छ.ग.)</p> <p><b>जौ-262700944/7</b></p>	क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	1.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंधा दुर्ग अंतर्गत विभिन्न मटों में वर्ष 2026-27 एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य हेतु स्वीकृत रूपये 30.00 लाख तक लागत के छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का सम्पादन करना। (जोनल निविदा रूप क. 11, 12, 13, 14 एवं 15)	<p><b>कार्यपालन अभियंता</b> ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग (छ.ग.)</p>
क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)				
1.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंधा दुर्ग अंतर्गत विभिन्न मटों में वर्ष 2026-27 एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य हेतु स्वीकृत रूपये 30.00 लाख तक लागत के छोटे-छोटे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य का सम्पादन करना। (जोनल निविदा रूप क. 11, 12, 13, 14 एवं 15)					

Particulars		Standalone				
		3 Months Ended		Year Ended		
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Un-Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from Operations		6199.00	4772.94	4808.48	19225.14	17842.01
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)		216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)		216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)		149.39	129.72	67.06	461.07	411.98
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))		156.52	134.95	68.17	474.97	412.50
Equity Share Capital		1368.98				
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet		11058.80				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:		1.09	0.95	0.49	3.37	3.01
2. Diluted:		1.09	0.95	0.49	3.37	3.01

Particulars		Standalone				
		3 Months Ended		Year Ended		
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Un-Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from Operations		6199.00	4772.94	4808.48	19225.14	17842.01
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)		216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)		216.43	179.19	120.31	654.67	628.11
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)		149.39	129.72	67.06	461.07	411.98
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))		156.52	134.95	68.17	474.97	412.50
Equity Share Capital		1368.98				
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet		11058.80				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:		1.09	0.95	0.49	3.37	3.01
2. Diluted:		1.09	0.95	0.49	3.37	3.01

**Notes:**

- Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, where necessary.
- The above results for the quarter and year ended March 31, 2026 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 22nd May, 2026
- The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) as applicable and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The aforesaid Limited Reviewed Financial Results will be uploaded on the company's website www.sarthakmetals.com and will be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com for benefit of shareholders.
- The Company has Rs 32.69 Lac unrealised gains on foreign currency transactions as on 31st March 2026.
- During the Quarter ended March 31, 2026, One Investor complaint was received and attended.
- The Company operates in a single segment as "Cored Wires".
- The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures of the current financial year.

By order of the Board  
For, Sarthak Metals Limited  
Sd/-  
Anoop Kumar Bansal  
Managing Director  
DIN: 01661844

Place : Bhilai, Chhattisgarh  
Date : 22-5-2026

## पीड़ित पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार

श्रमबिन्दु / राजपुर

बलरामपुर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच अब व्यक्तिगत छवि और सम्मान पर हमले के मामले भी तेजी से सामने आने लगे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक वीडियो वायरल किए जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के नाम थाना प्रभारी राजपुर को ज्ञापन सौंपकर की है।

शिकायतकर्ता पत्रकार का आरोप है कि वर्ष 2022 में एक त्रुटिहार के दौरान उनकी नशे की अवस्था का वीडियो बिना अनुमति के बनाया गया था। अब उसी पुराने वीडियो को राजपुर निवासी दो वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा फेसबुक पर अपलोड कर सार्वजनिक रूप से वायरल कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वीडियो वायरल करने का उद्देश्य उनकी



सामाजिक छवि खराब करना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना था।

पत्रकार ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि हाल ही में उनके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा कथित मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर चल रही गतिविधियों को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि उसी क्रम में उक्त वीडियो को योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम किया जा सके।

हालांकि शिकायत की जानकारी लगने के बाद संबंधित व्यक्तियों द्वारा वीडियो फेसबुक से डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच चुका था जिसमें काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हास्यास्पद कॉमेंट भी किए थे शिकायतकर्ता का कहना है कि वीडियो देखने के बाद लगातार लोगों के फेन आ रहे हैं और उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।

यह मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है:

यह पूरा मामला अब पत्रकारिता और सोशल मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कभी पत्रकारिता को समाज का आईना माना जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा और वायरल संस्कृति ने उसके स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया

है। लाइक, व्यूज और वायरल होने की होड़ में कई बार संवेदनशीलता और नैतिकता पीछे छूटती नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पत्रकारिता का झुकाव अब जिम्मेदार संवाद से हटकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमलों की ओर बढ़ रहा है?

इस मामले ने एक और महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है कि क्या किसी अन्यायपूर्ण प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रसारित किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह घटना एक सीख है। किसी का वीडियो या फोटो बिना अनुमति साझा करना, किसी की निजी स्थिति का मजाक बनाना, या वायरल संस्कृति के नाम पर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनी अपराध भी बन सकता है।

कानूनी दृष्टि से भी इस प्रकार की घटनाएं गंभीर मानी जाती हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) 2000 तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी व्यक्ति का निजी या अपमानजनक वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर प्रसारित करना मानहानि, निजता के उल्लंघन और साइबर उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। यदि किसी सामग्री को जानबूझकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से प्रसारित किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह घटना एक सीख है। किसी का वीडियो या फोटो बिना अनुमति साझा करना, किसी की निजी स्थिति का मजाक बनाना, या वायरल संस्कृति के नाम पर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना न केवल अनैतिक है बल्कि कानूनी अपराध भी बन सकता है।

रामानुजगंज में मिली 96  
वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि

श्रमबिन्दु/बलरामपुर

बलरामपुर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशव्यापी स्तर पर संचालित ज्ञानभारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज के जिले में पहला पांडुलिपि रामानुजगंज मध्य बाजार निवासी श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के घर से 96 वर्ष पुरानी एक अत्यंत दुर्लभ पांडुलिपि प्राप्त हुई है।

ज्ञानभारतम अभियान की जिला स्तरीय समिति के नोडल अधिकारी श्री रामपथ यादव, सहायक नोडल श्री संजय कुमार गुप्ता और जिला ग्रंथपाल श्री राजकुमार शर्मा ने श्री रामेश्वर गुप्ता परिवार के निवास पर पहुंचकर इस ऐतिहासिक पांडुलिपि का सूक्ष्म अवलोकन किया।

पांडुलिपि के संरक्षक रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि यह अमूल्य धरोहर उनके दादाजी श्री लक्ष्मी प्रसाद रैनियार द्वारा आज से 96 वर्ष पूर्व हस्तलिखित की गई थी, जिसे परिवार ने आज तक बेहद सहेज कर रखा है। इसमें रामानुजगंज की जीवनदायिनी कन्हर नदी में आई ऐतिहासिक



बाढ़ का सजीव वर्णन है। मां शारदा की भक्ति स्तुति, धैरवी, द्रौपदी का विनय, गजल, दोहा, चौगोला और दादरा जैसी विविध विधाओं का समावेश है। पांडुलिपि में अत्यंत कलात्मक ढंग से एक वंश-वृक्ष को भी चित्रित किया गया है।

अवलोकन के दौरान अधिकारियों ने पाया कि पांडुलिपि की हस्तलिपि और लेखन शैली की सुंदरता अत्यंत विशिष्ट और विश्वसनीय है। मौके पर मौजूद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जगदलपुर) से आए प्रभारी अधिकारी श्री हरनेक सिंह ने इस दुर्लभ पांडुलिपि के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया। ज्ञानभारतम अभियान देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरों और जनजातीय विरासत के संरक्षण व संवर्धन का एक महा-अभियान है।

## न्यायालय परिसर में अधिवक्ता से दुर्व्यवहार पर फूट आक्रोश

श्रमबिन्दु / साजा

व्यवहार न्यायालय साजा के युवा अधिवक्ता गुलशन मनहरे के साथ न्यायालय परिसर स्थित उनके चेंबर में घुसकर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाना साजा पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते नजर आए।

मामला धौराभाटा निवासी अखिलेश मनहरे से जुड़ा बताया जा रहा है। अधिवक्ता गुलशन मनहरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी लंबे समय से धौराभाटा एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री का कार्य कर रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है और युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसी संबंध में शिकायत किए जाने की आशंका पर आरोपी ने कथित रूप से न्यायालय परिसर में पहुंचकर अधिवक्ता के साथ अभद्रता, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी।

घटना की जानकारी मिलते ही व्यवहार न्यायालय साजा के अधिवक्ता एकट्टे हो गए। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल थाना पहुंचा, जहां प्रारंभ में रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय लिखित आवेदन देने की बात कही गई। इसे



लेकर अधिवक्ताओं में और अधिक नाराजगी देखने को मिली। अधिवक्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध शराब, गांजा तथा अन्य अवैध कारोबार पुलिस संरक्षण में पल-पल रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों के हाईलेस लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दो दिनों तक कार्रवाई नहीं होने के बाद अधिवक्ता गुलशन मनहरे ने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाना पहुंचे और तत्काल अपराध दर्ज करने की मांग पर अड गए। काफी देर तक चली चर्चा एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध

भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) एवं 294 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता मूलचंद शर्मा ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा से चर्चा कर मामले की निष्पक्ष जांच एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में किसी अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत गंभीर विषय है और यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

घटना की निंदा करते हुए पुरुषोत्तम चौबे, सागर मानिक, विजय जोशी, विनोद शर्मा, उपेंद्र दीवान, के. वैष्णव, गोकुल राजपूत, दिनेश साहू, मनोज वर्मा, श्रीमती कविता गोसाई, मनोज राजपूत, योगेंद्र चंदेल, संजय दत्त अधिवक्ता एवं पून सिंह सहित अनेक अधिवक्ताओं ने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध शराब और नशे के कारोबार को लेकर भी अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि अवैध कारोबार पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आती।